न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दूदू जिला जयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी- श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत आर.ए.एस.

राजस्व वाद -पत्र संख्या 49/2008

प्रार्थना-पत्र दायरी दिनांक : 13/03/2008

निर्णय दिनांक : 25/11/2019

विमलकुमार पुत्र पोखरलाल उर्फ पुखराज, जाति महाजन, निवासी मरवा, तहसील दूदू, जिला जयपुर, राज0।

— वादी

-बनाम-

1. पन्नालाल पुत्र मांगीलाल, जाति महाजन, निवासी मरवा, तहसील दूदू, जिला जयपुर, राज0।
2. शान्तिदेवी पत्नी पोखरलाल उर्फ पुखराज, जाति महाजन, निवासी मरवा, तहसील दूदू, जिला जयपुर, राज0।
3. प्रेमचन्द पुत्र पोखरलाल उर्फ पुखराज, जाति महाजन, निवासी मरवा, तहसील दूदू, जिला जयपुर, राज0।

— प्रतिवादीगण

वाद इस्तकरारहक व स्थायी निषेधाज्ञ

उपस्थिति – श्री नारायणसहाय पारीक
विद्वान अधिवक्ता वादी

श्री आर.एस.खंगारोत
विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1

प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के विरूद्ध कार्यवाही
एकतरफा अमल में लायी गयी।

-: निर्णय :-

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर 80 रकबा 08 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 81 रकबा 03 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 82 रकबा 05 बीघा 17 बिस्वा कुल किता 03 कुल रकबा 18 बीघा 04 बिस्वा वाके ग्राम पानवाकलां, तहसील दूदू में स्थित है, जो तन्हा वादी व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 की कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजीयात है, जिस पर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 मौके पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे हैं तथा लगान सरकारी जमा कराते हैं। सिजरा अंकित करते हुये बताया कि स्व0 पोखरमल उर्फ पुखराज प्रतिवादी संख्या 1, रतनलाल व कन्हैयालाल स्व0 मांगीलाल के जायन्दा लडके है, जिनकी

उपखण्ड अधिकारी
दूदू

Scanned with CamScanner

विवादित आराजी के अलावा अन्य आराजी संयुक्त परिवार की थी, जिसका स्व0 पोखरमल उर्फ पुखराज प्रतिवादी संख्या 1 रतनलाल व कन्हैयालाल ने दिनांक 23/02/1986 को आपसी रजामन्दी व पारिवारिक समझौते के अनुसार मौखिक रूप से बंटवारे के अनुसार विवादित आराजी स्व0 पोखरलाल उर्फ पुखराज के हिस्से में आयी, जिस पर सन् 1986 से आपसी बंटवारे के अनुसार स्व0 पुखराज जब तक जीवित रहे तन्हा काबिज रकर काश्त करते रहे और उनके स्वर्गवास के पश्चात वादी व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 मौके पर काबिज है, और आज तक कश्त करते चले आ रहे है। आपसी बटवारे के बाद अर्थात सन् 1986 से अब तक प्रतिवादी सं01 का विवादित आराजी से किसी भी प्रकार का कोई सम्बन्ध व सरोकार नही रहा है। स्व0 पोखरमल उर्फ पुखराज ने आपसी बंटवारे के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 कई मर्तबा विवादित आराजी स्वंय के नाम लगवाने को कहा तो प्रतिवादी संख्या 1 पोखरलाल उर्फ पुखराज को प्रतिवादी संख्या 1 विश्वास दिलाता रहा कि भाई बंट अनुसार विवादित आराजी तुम्हारे हक व हिस्सा की है, जिस पर तन्हा मौके पर तुम काबिज काश्त हो, इसलिये कभी भी नाम करवा दूंगा। स्व0 पोखरमल उर्फ पुखराज प्रतिवादी संख्या 1 पर विश्वास कर कोई कार्यवाही नही की और विवादित आराजीयात पर तन्हा काबिज काश्त रहा और इसी दौरान सन् 1990 में स्व0 पोखरलाल उर्फ पुखराज का स्वर्गवास हो गया। स्व0 पोखरलाल उर्फ पुखराज का स्वर्गवास होने के बाद वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को विवादित आराजी उनके नाम लगवाने को कहा तो प्रतिवादी संख्या 1 को आराजी नाम लगवाने का आश्वासन देता रहा लेकिन नाम नही लगवायी। दिनांक 20/04/1999 को वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को विवादित आराजी में से हिस्सा स्वंय व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के नाम लगवाने बाबत कहा तो प्रतिवादी संख्या 1 इन्कार हो गया और वादी को ऐलानिया धमकी दी कि विवादित आराजी मे से उसका 1/2 हिस्सा एक दो दिन में विक्रय कर बेदखल करूंगा, इसलिये यह वाद विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ हैं।

वादी ने वाद–पत्र के अन्य बिन्दूओं के साथ–साथ वाद कारण अंकित करते हुये दादरसी चाही कि दावा बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 डिकी फरमाया जाकर इस्तकरारहक इस अमर का सादिर घोषित फरमाया जावें कि विवादित आराजी वर्णित मद नम्बर 1 वाद–पत्र सम्पूर्ण के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 खातेदार काश्तकार है तथा प्रतिवादी संख्या 1 का नाम हजफ फरमाया जावें।

उपखण्ड अधिकारी दूदू

उपखण्ड अधिकारी
दूदू

Scanned with CamScanner

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादी जारी की गयी। प्रतिवादीगण बावजूद तामिल उपस्थित नही होने से उनके विरूद्ध कार्यवाही एकतरफा अमल में लायी गयी। वकील वादी ने गवाह पी.डब्ल्यू 1, 2, 3, 4 पेश किये जो शामिल मिसल किये गये। दिनाक 24/05/1999 को वादी का वाद डिकी किया जाकर विवादित आराजी में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को तन्हा खातेदार काश्तकार घोषित किया एवं प्रतिवादी संख्या 1 का नाम हजफ किया गया।

दिनांक 25/09/1999 को प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 जा0 दी0 पेश किया गया जो स्वीकार किया जाकर मूल निर्णय एंव डिकी दिनांक 24/05/1999 को निरस्त किया जाकर मूल वाद सुनवाई हेतु पुनः नम्बर पर लिया गया। दिनांक 05/09/2007 को पत्रावली राजस्व मण्डल अजमेर से प्राप्त हुयी। वादी की ओर से श्री नारायणसहाय पारीक एडवोकेट उपस्थित हुये।

दिनांक 30/10/2007 को प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से जवाबदावा पेश हुआ। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से प्रार्थना–पत्र बाबत समेकित करने हेतु पेश किया गया। जवाब वादी की ओर से पेश हुआ। दिनांक 14/12/2009 को प्रकरण संख्या 50/08 उनवानी पन्नालाल बनाम शान्ति को इस वाद में समेकित किया गया। दिनांक 02/11/2010 को प्रार्थना–पत्र जवाबदावा रिकार्ड पर लेने का पेश हुआ। प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर जवाबदावा रिकार्ड पर लिया गया।

दिनांक 14/03/2011 को प्रतिवादी संख्या 1 ने दस्तावेज सूची किता–1 पेश की। जो शामिल मिसल की गयी। दिनांक 03/05/2011 को प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 14 जा0 दी0 पेश किया गया जो शामिल मिसल किया गया। दिनांक 22/11/2011 को प्रार्थना–पत्र 1500 रूपये कोस्ट अदायगी की शर्त पर प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया गया।

दिनांक 06/09/2011 को वादी की ओर से गवाह पी.डब्ल्यू 1 गोरधन, पी. डब्ल्यू 2 हनुमान के शपथ–पत्र पेश हुये जो शामिल मिसल किये गये। दिनांक 14/09/2011 को वादी की ओर से गवाह पी.डब्ल्यू 3 किशनलाल, पी.डब्ल्यू 4 छगनलाल नायक के शपथ–पत्र पेश हुये जो शामिल मिसल किये गये। दिनांक 17/04/2012 को वादी की ओर से गवाह पी.डब्ल्यू 1 विमलकुमार, पी.डब्ल्यू 2 दातार सिंह के शपथ–पत्र पेश हुये, जो शामिल मिसल किये गये।

दिनांक 19/10/2015 को वादी की ओर से गवाह पी.डब्ल्यू 2 दांतार सिंह, पी. डब्ल्यू 3 रामचन्द्र के शपथ–पत्र पेश हुये जो शामिल मिसल किये गये। दिनांक 16/12/2015 को प्रार्थना–पत्र 65 साक्ष्य अधिनियम का पेश किया गया जो शामिल

उपखण्ड अधिकारी
दूदू

Scanned with CamScanner

...किया गया। दिनांक 01/02/2016 को प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनी जाकर खारिज किया गया।

दिनांक 23/01/2019 को इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 01/02/2016 की निगरानी रेवेन्यू बोर्ड में की गयी। जहां से पत्रावली निर्णित होकर दिनांक ../01/2019 को प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर पक्षकारान को जरिये अदालती सम्मन से तलब किया गया।

दिनांक 01/07/2019 को वादी की ओर से श्री एनएसपारीक एडवोकेट उपस्थित हुये। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से श्री आर.एस. मण्डावरी एडवोकेट उपस्थित हुये। प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को बार–बार आवाज दिलाने पर भी बावजूद तामिल उपस्थित नही होने से उनके विरूद्ध कार्यवाही एकतरफा अमल में लायी गयी।

दिनांक 13/08/2019 को वादी की ओर से गवाह पी.डब्ल्यू 4 कन्हेयालाल व पी.डब्ल्यू 5 हीरालाल के शपथ–पत्र पेश किये गये जिनके बयान लिये गये। वकील वादी ओर शहादत पेश नही करना जाहिर किया। दिनांक 03/09/2019 को गवाह प्रतिवादी नन्दलाल, पन्नालाल व हनुमानप्रसाद के पेश किये गये जो शामिल पत्रावली किये गये, जिन पर दिनांक 16/09/2019 को बयान लिये गये।

दिनांक 01/10/2019 को प्रतिवादी की ओर से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 14 नियम 05 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 09/10/2019 को प्रार्थना–पत्र का जवाब पेश किया गया। जिस पर बहस सुनी जाकर प्रार्थना–पत्र खारिज किया गया। पत्रावली वास्ते बहस नियत की गयी।

विद्वान अधिवक्ता वादी व प्रतिवादी संख्या 1 की बहस सुनी गयी।

हमने विद्वान अधिवक्ता वादी व प्रतिवादी संख्या 1 की बहस का ध्यानपूर्वक मनन किया। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत जवाबदावा आदि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। माननीय न्यायालय ने प्रकरण के न्याय निर्णयन हेतु 8 तनकीयात कायम की गयी हैं। पत्रावली के अवलोकन से उभय पक्ष की बहस पर मनन किया व प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर तनकीवार विवेचन निम्नानुसार है:–

<u>तनकी संख्या 1 –</u>

"आया विवादित आराजी खसरा नम्बर 80 रकबा 08 बीघा 11 बिस्वा खसरा नम्बर 81 रकबा 03 बीघा 16 बिस्वा खसरा नम्बर 82 रकबा 05 बीघा 17 बिस्वा कुल किता 03 कुल रकबा 18 बीघा 04 बिस्वा वाके ग्राम पानवाकलां, तहसील दूदू, जिला जयपुर के

उपखण्ड अधिकारी
दूदू

Scanned with CamScanner

...दी एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 काबिज काश्त है एवं लगान सरकारी अदा करते आ ...हे हैं। खातेदार काश्तकार घोषणा करवाने के अधिकारी हैं।"

इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर हैं। ...ख्या 1 को साबित करने के लिये समर्थन मे वादीगण ने उक्त तनकी ...3/02/1986 पेश की है, जो नोटेरी पब्लिक द्वारा सत्यप्रतिलिपी है, जो स्व0 ...गीलाल के चारो पुत्रों रतनलाल, कन्हैयालाल, पन्नालाल व पुखराज के मध्य लिखी ...यी है। उस लिखावट के अवलोकन से यह भलींभांति साबित है कि विवादित आराजीयात वादी के पिता स्व0 पुखराज के हक में रखी गयी है और उक्त लिखावट मे चारों भाईयों ने यह स्वीकार किया है कि "जिसका नाम छुटा हुआ है, वह कहेंगे, जिस नाम से कोर्ट द्वारा ट्रांसफर करवा देंगे।" इस प्रकार इस लिखावट में चारा भाईयों ने यह माना है कि विवादित आराजीयात पुखराज के हिस्से में आयी है एव पुखराज के कहे अनुसार कोर्ट द्वारा उसके नाम से करवा दी जायेगी, जिससे यह साबित है कि प्रतिवादी संख्या 1 लिखावट दिनांक 23/02/1986 से एस्टोप्ड है एवं विवादित आराजीयात में वादी व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 जो कि स्व0 पुखराज के विधिक वारिशान है, का हक व हिस्सा होना पाया जाता हैं एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य गवाहान में पी.डब्ल्यू 3 कन्हैयालाल ने अपने सशपथ बयानों में कथन किया है कि "विवादित आराजीयात ग्राम पानवाकलां में स्थित है, जिस पर वादी व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के कब्जे काश्त की आराजी है, हमारे संयुक्त परिवार में विवादग्रस्त आराजी के अलावा कृषि भूमि थी, जिसका दिनांक 23/02/1986 को आपसी रजामन्दी से मौखिक बंटवारा श्री पोखरमल के जीवनकाल में ही कर लिया था। भाई बंटववारे के अनुसार विवादित भूमि सम्पूर्ण स्वर्गीय पोखरमल के हिस्से में आयी थी। जो उसको संभला दी थी व वही काश्त करता था।" इस प्रकार उक्त गवाह पी.डब्ल्यू 3 जो कि वरवक्त लिखावट में भी मौजूद था एवं स्व0 पुखराज का सगा भाई है, जिसने एवं अन्य साक्ष्य गवाहान ने भी विवादित आराजीयात पर पूर्व में स्व0 पुखराज का कब्जा काश्त होना एवं वर्तमान में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का कब्जा काश्त होना साबित होता हैं। इस प्रकार उपरोक्त तनकी संख्या 1 को वादी ने अपने दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों से बखूबी साबित किया है, इसलिये उक्त तनकी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 तय की जाती हैं।

<u>तनकी संख्या 2 –</u> "आया स्व0 पोखरमल, रतनलाल, कन्हैयालाल ने मौखिक रूप से आपसी रजामन्दी से दिनांक 23/02/1986 को बंटवारा कर लिया। विवादित आराजीयात स्व0 पोखरमल के हिस्से में आयी।"

इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर हैं। चूंकि तनकी संख्या 1 वादी के पक्ष में तय हो चुकी है, इसलिये उक्त तनकी स्वतः ही वादी के पक्ष में तय हो जाती है, चूंकि तनकी संख्या 1 का मुख्य आधार पारिवारिक लिखावट दिनाक 23/02/1986 रहा है एवं उक्त तनकी संख्या 2 में भी लिखावट दिनांक 23/02/1986 के आधार पर बंटवारा करना अंकित किया है, जिसको साबित करने का भार वादी पर है, वादी ने उक्त तनकी संख्या 2 को साबित करने के लिये समर्थन में पारिवारिक लिखावट दिनांक 23/02/1986 पेश की है, जो नोटेरी पब्लिक द्वारा सत्यप्रतिलिपी है, जो स्व0 मांगीलाल के चारो पुत्रों रतनलाल, कन्हैयालाल, पन्नालाल व पुखराज के मध्य लिखी गयी है। उस लिखावट के अवलोकन से यह भलींभांति साबित है कि विवादित आराजीयात वादी के पिता स्व0 पुखराज के हक में रखी गयी है और उक्त लिखावट में चारों भाईयों ने स्वीकार किया हैं। उक्त लिखावट नोटेरी पब्लिक द्वारा सत्यापित है, इसलिये इसके फर्जी होने का भी अंदेशा प्रतीत नही होता हैं। वही दुसरी ओर प्रतिवादी संख्या 1 ने इसके खण्डन में किसी प्रकार का कोई साक्ष्य गवाहान पेश नही किये है, इसलिये उक्त विवेचन से उक्त तनकी संख्या 2 को वादी ने अपने दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों से बखूबी साबित किया है, इसलिये उक्त तनकी संख्या 2 बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 तय की जाती हैं।

तनकी संख्या 3 –

"आया प्रतिवादी संख्या 1 को वादी स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का अधिकारी हैं।"

इस तनकी को साबित करने का भार भी वादी पर हैं। चूंकि तनकी संख्या 1 व 2 वादी के पक्ष में तय हो चुकी है एवं विवादित आराजीयात पर वादी व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का कब्जा काश्त साबित होता है, गवाह पी.डब्लयू 3 ने अपनी सशपथ बयानों में अंकित किया है कि "बंटवारे में सम्पूर्ण हिस्सा वर्ष 1986 में आने के पश्चात वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ल. 3 काबिज काश्त है वर्तमान में काबिज काश्त हैं।" इस प्रकार गवाह पी.डब्ल्यू 3, पी.डब्ल्यू 3 एवं अन्य साक्ष्य गवाहान से यह साबित है कि विवादित आराजीयात पर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का कब्जा काश्त है, ऐसी स्थिति में वादी के कब्जे काश्त में किसी भी व्यक्ति का कोई दखल करने का अधिकार नही है, इसलिये वादी प्रतिवादी संख्या 1 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का अधिकारी हें। ऐसी स्थिति में यह तनकी संख्या 3 भी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 तय की जाती हैं।

उपखण्ड अधिकारी
दूदू

Scanned with CamScanner

तनकी संख्या 4 – "आया वाद–पत्र का पैरा संख्या 1 की आराजी वाके ग्राम मरवा तहसील दूदू जिला जयपुर की आराजी में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 मात्र 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार है शेष 1/2 हिस्से की आराजी से वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का कोई सम्बन्ध सरोकार नही हैं।"

इस तनकी को साबित करने का भार भी प्रतिवादी संख्या 1 पर हैं। इस तनकी संख्या 4 को साबित करने के लिये प्रतिवादी संख्या 1 ने कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही किये है, जिससे यह साबित हो कि विवादित आराजीयात सम्पूर्ण वादी व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 की नही रही हो, मात्र प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने जवाबदावा में उज्र लिया है कि विवादित आराजीयात में वादी व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का कोई हक व हिस्सा नही हैं, यह लिख दिये जाने मात्र से न्यायालय वादी के हक व हिस्से से इन्कार नही कर सकती है, वही दुसरी ओर वादी व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 ने विवादित आराजीयात सम्पूर्ण अपनी होने बाबत मौखिक साक्ष्य एवं दस्तावेजी साक्ष्य पेश किये है, जिससे विवादित आराजीयात वादी व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 की होना एवं उनका कब्जा काश्त होना साबित होता हैं। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 उक्त तनकीयात को साबित पूर्ण में पूर्णतया असफल रहा हैं। ऐसी स्थिति में उक्त तनकी संख्या 4 बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 तय की जाती हैं।

तनकी संख्या 5 –

"आया प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध वाद कारण के अभाव में वाद चलने योग्य नहीं हैं।"

इस तनकी को साबित करने का भार भी प्रतिवादी संख्या 1 पर हैं। इस तनकी संख्या 4 को साबित करने के लिये प्रतिवादी संख्या 1 ने कोई दस्तावेजी या मौखिक साक्ष्य पेश नही किये है, जबकि दुसरी ओर वादी ने अपने वाद–पत्र के पैरा संख्या 7 में स्पष्ट रूप से यह अंकित किया है कि "वाद कारण दिनांक 20/04/1999 को प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादी को 1/2 हिस्से की आराजी नाम लगाने से इन्कार होने तथा विवादित आराजी से बेदखल करने की धमकी दी, इसलिये यह वाद कारण उत्पन्न हुआ एवं वाद पेश किया।" इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी को उसका हिस्सा नाम नही लगाने की धमकी दी, जिस पर वादी को वाद कारण उत्पन्न होने पर वादी ने उक्त वाद माननीय न्यायालय के समक्ष अपने हितों की रक्षार्थ पेश किया हैं। इसी प्रकार वादी द्वारा प्रस्तुत गवाह पी.डब्ल्यू 2 दांतार सिंह ने अपनी जिरह में यह कथन किया है कि "पन्नालाल जमीन बैचना चाहता हैं।" इस यह साबित है कि जब पन्नालाल जमीन बैचना चाह रहा था तब वादी को वाद कारण उत्पन्न हुआ

उपखण्ड अधिकारी
दूदू

Scanned with CamScanner

वादी ने उक्त वाद पेश किया है। जिससे यह साबित है कि वादी को प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध वाद कारण उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 उक्त तनकी को भी साबित पूर्ण में पूर्णतया असफल रहा है। ऐसी स्थिति में उक्त तनकी संख्या 5 बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 तय की जाती है।

तनकी संख्या 6 –

"आया प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा पुश्तैनी पर्चे खातेदारी का रहा है, जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 काबिज काश्त हैं।"

इस तनकी को साबित करने का भार भी प्रतिवादी संख्या 1 पर हैं। पर्चा सैटलमेन्ट सम्वत 2011 के अनुसार उक्त विवादित आराजीयात का पर्चा 1/2 हिस्सा का प्रतिवादी संख्या 1 पन्नालाल के नाम से आना जरूर पाया जाता है, लेकिन पर्चा आने के पश्चात पक्षकारान के मध्य दिनांक 23/02/1986 को पारिवारिक लिखावट हुयी है, जिसमें उक्त आराजीयात को चारों भाईयों की मानते हुये पारिवारिक बंटववारे के तहत अकेले स्व0 पुखराज के हक में आना माना है, ऐसी स्थिति में आराजीयात पुश्तैनी भले ही क्यों न हो, लेकिन यदि सभी पारिवारिक सदस्यों द्वारा मिल बैठकर आराजीयात को किसी एक भाई को दे दी हो तो उससे सभी भाई एस्टोप्ड एवं पाबन्द रहते हैं, इसलिये प्रतिवादी संख्या 1 कानूनन उक्त लिखावट से पाबन्द है ऐसी स्थिति में कानूनन विवादित आराजीयात में प्रतिवादी संख्या 1 का अब किसी प्रकार से हक व हिस्सा नही होना पाया जाता हैं। ऐसी स्थिति में उक्त तनकी संख्या 6 बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 तय की जाती हैं।

तनकी संख्या 7 –

"आया वादी का वाद प्रतिवादी संख्या 1 सहखातेदार के विरूद्ध कानूनन वाद चलने योग्य नही हैं।"

इस तनकी को साबित करने का भार भी प्रतिवादी संख्या 1 पर हैं, चूकि प्रतिवादी संख्या 1 ने अंकित किया है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 विवादित आराजीयात के सहखातेदार है, इसलिये सहखातेदार के विरूद्ध वाद चलन नही सकता, इस सम्बन्ध में इस न्यायालय को यह पाया जाता है कि किसी भी पीडीत पक्ष को अपने अधिकारों की रक्षार्थ सम्बन्धित पक्षकार के विरूद्ध वाद पेश कर कानूनी उपचार प्राप्त करने का कानूनन अधिकार होता है, चाहे वह पिता, पुत्र, पत्नी, परिवारजन या फिर सहखातेदार ही क्यों ना हो? इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 की यह दलील भी कानून की नजर में मानने योग्य नही पायी जाती हैं। ऐसी स्थिति में उक्त तनकी संख्या 7 भी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 तय की जाती हैं।

उपखण्ड अधिकारी
दूदू

Scanned with CamScanner

तनकीह संख्या 8 –

"दादरसी"

चूंकि उपरोक्त सभी तनकीयात संख्या 1 ल. 7 वादी के पक्ष में तय की जा चुकी है एवं सभी तनकीयात को वादी ने अपने मोखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों से भलीभांति साबित किया हैं। ऐसी स्थिति में यह न्यायालय यह समझता है कि वादी एवं प्रतिवादीगण स्व0 मांगीलाल के वंशज होकर एक ही परिवार के सदस्य हैं। विवादित आराजीयात वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 के हिस्से में पारिवारिक समझौते के तहत आई होना एवं मौके पर काबिज काश्त होना वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य गवाहान से साबित होता हैं। लिखावट दिनाक 23/02/1986 के अनुसार विवादित आराजीयात स्व0 पोखरमल के हिस्से में आना पायी जाती हैं। इसलिये उपर्युक्त सभी तथ्यों का तनकीवार विवेचन उपरान्त यह पाया जाता है कि वादी अपने वाद–पत्र को साबित करने में पूर्ण रूप से सफल रहा है, ऐसी स्थिति में वादी का वाद डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

–: आदेश :–

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र डिक्री किया जाकर विवादित आराजी खसरा नम्बर 80, 81, 82 कुल किता 03 कुल रकबा 18 बीघा 04 बिस्वा वाके ग्राम पानवाकलां, तहसील दूदू, जिला जयपुर में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम हजफ किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को सम्पूर्ण आराजी का तन्हा खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं एवं प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न स्वंय करें न अन्य से करावें। उक्तानुसार पर्चा डिकी जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 25/11/19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी अधिकारी, दूदू, जयपुर — मुद्रा

उपखण्ड अधिकारी
दूदू (जयपुर)

Scanned with CamScanner

राज पंचायत प्रकाशन, जयपुर-3 फोन : 31[illegible]

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

अन्तिम डिक्री

(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुकाम दूदू
(श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत R.A.S)

[illegible]र S/o पोखरलाल उर्फ पुखराज बनाम 1. पन्नालाल S/o मांगीलाल महाजन
[illegible] मरका दावा बाबत इस्तकरार हक [illegible] 2. शान्तीदेवी W/o पोखरलाल उर्फ पुखराज
मुकदमा नं. 49/2006 सन 3. प्रेमचन्द S/o पोखरलाल उर्फ पुखराज

मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री नारायणसहाय पारीक एड.
मिनजानिब मुद्दई रूबरू श्री R.S खंगारोत एड।
मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि
अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद-पत्र डिक्री किया जाकर विवादित [illegible] ख0नं0 80, 81, 82 कुल किता 03 कुल रकबा 18 बीघा 04 बिस्वा [illegible] ग्राम पानवा कलां तहसील दूदू जिला जयपुर में प्रतिवादी सं0 1 [illegible] हटाया किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी सं0 2 व 3 को सम्पूर्ण [illegible] का तन्हा खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। मुबलिग बाबत

[illegible] मुकदमे के गय सूद नशरह फीसदी [illegible] आज की तारीख से
अदायगी तक का अदा करें।
[illegible] मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 25 माह 11 सन् 2019 को
[illegible] गई।

दस्तखत उपखण्ड अधिकारी
ओहदा [illegible]

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
[illegible] अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
[illegible] वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
[illegible] वजह सबूत			महनताना वकील		
[illegible]ताना वकील			खर्चा गवाहान		
[illegible] गवाहान			फीस कमिश्नर		
[illegible] कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
[illegible]त इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
[illegible]फरिक					
मीजान			मीजान		

[illegible] इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकैन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।